न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06, जनपद-कानपुर देहात।			
सत्र वाद सं०-192/2025			
राज्य		**बनाम**	सैयंश उर्फ छोटू आदि
नाम साक्षीः	संतोष कुमार सिंह पुत्र शिव जी सिंह	**अपराध सं०ः**	455/2024
उम्र साक्षीः	लगभग 44 वर्ष	**अन्तर्गत धाराः**	80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
पेशा साक्षीः	तहसीलदार	**थानाः**	रसूलाबाद
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः	तहसील रसूलाबाद, जनपद-कानपुर देहात		

दिनांकः-03.04.2026

मैं **साक्षीः** संतोष कुमार सिंह पुत्र शिव जी सिंह**,** **उम्रः** लगभग 44 वर्ष**,** **पेशाः** तहसीलदार**,** **साक्षी वर्तमान तैनाती का पताः** तहसील रसूलाबाद, जनपद-कानपुर देहात यह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 31.10.2024 को मैं तहसील रसूलाबाद में तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। उसी दिन शाम के समय 19:43 बजे उपजिलाधिकारी रसूलाबाद, कानपुर देहात द्वारा जरिए फोन से मुझे सूचना दी गयी थी कि प्रियंका पत्नी सैयंश निवासिनी मनौरापुर थाना रसूलाबाद कानपुर देहात,

जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, की मृत्यु ग्राम मनौरापुर स्थित उसके घर में हो गयी है। आप जाकर पंचनामा की कार्यवाही संपन्न करायें।

2. उपर्युक्त सूचना पर मैं ग्राम मनौरापुर स्थित मृतका के घर पर उसी दिन समय रात्रि करीब 20:30 बजे पहुँच गया था। मृतका के घर पर थाना रसूलाबाद की पुलिस, मृतका के परिजन व गाँव के काफी लोग एकत्र थे। मौके पर फील्ड यूनिट टीम भी मौजूद थी। मृतका का शव घर के अंदर कमरे में पंखे पर साड़ी के फंदे से लटका हुआ था। साड़ी का फंदा मृतका के गले में पड़ा हुआ था। शव को फंदे से उतारकर जमीन पर रखा गया था। फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के पश्चात मौजूद लोगों में से पंच नियुक्त कर मेरे द्वारा पंचनामा की कार्यवाही शुरु की गयी थी।

3. मृतका के गले में नीलगू निशान मौजूद था।

4. मृतका के शव को बाडी किट में रखकर सीलसर्वमुहर कराया गया था। मृतका की पंचनामा रिपोर्ट मैंने बोलबोलकर उ०नि० मिलन सिरोही से लिखवायी थी और उस पर मैंने अपने हस्ताक्षर बनाये थे। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **<u>प्रदर्श P-5</u>** अंकित किया गया।

5. सी०एम०ओ० चिट्ठी, चालान नाश, पुलिस फॉर्म सं०-33, फोटोनाश, प्रपत्र पर भी मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिन पर क्रमशः **<u>प्रदर्श P-6 लगायत प्रदर्श P-10</u>** अंकित किया गया।

6. पंचनामा की कार्यवाही के पश्चात मृतका का शव, पंचनामा रिपोर्ट व अन्य दीगर प्रपत्र मुख्य आरक्षी सुनील कुमार व महिला आरक्षी हिमांशी अवस्थी को सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया था। मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर महिला आरक्षी हिमांशी अवस्थी के हस्ताक्षर बनवाये थे।

HANS PRAKASH DIXIT

7. पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

प्रतिपरीक्षा

8. उपजिलाधिकारी महोदय ने मुझे मृतका के शव का पंचनामा करने की सूचना फोन से दी थी। मैं मौके पर अपने गार्ड व अर्दली के साथ पहुँचा था। मृतका का शव ग्राउंड फ्लोर में बने कमरे में पंखे से लटका हुआ था। शव को पुलिस व मृतका के परिजनों के सहयोग से पंखे से उतरवाया गया था। मृतका के शव को फंदे की गांठ खुलवाकर उतरवाया गया था। मुझे जानकारी नहीं है कि मृतका जिस साड़ी के फंदे से लटकी हुई थी वह साड़ी कहाँ है ?

9. मैंने मृतका के शव को उलट-पलटकर नहीं देखा था। गले में निशान के अतिरिक्त और कोई चोट आना दर्शित नहीं था।

10. यह कहना गलत है कि मैंने स्वयं पंचनामा की कार्यवाही न करके पुलिसकर्मियों से पंचनामें की कार्यवाही करा दी हो और उस पर मैंने केवल अपने हस्ताक्षर कर दिये हों।

11. पंचनामें में राय पंचान लिखी गयी थी। राय पंचान मृतका की सगी मां द्वारा लिखी गयी थी। बाद में साक्षी ने कहा कि राय पंचान मृतका की सगी माँ द्वारा नहीं लिखी गयी थी किसके द्वारा लिखी गयी थी मुझे नहीं पता।

12. जब मैं मौके पर पहुँचा था तब शायद फोरेंसिक टीम भी जाँच हेतु आ गयी थी।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT